

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 747 / 2015
संस्थान दिनांक 19.12.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

महेश पिता भुरला, आयु 20 वर्ष
निवासी- एहमदपुर, खैगाव,
थाना मोघर, जिला खण्डवा म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 18.01.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 389/2015 अंतर्गत धारा 379 भा0द0सं0 में दिनांक 19.12.2015 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.12.2015 को समय 11:30 बजे, ए.बी. रोड़ बायपास ठीकरी में फरियादी देवेन्द्र राठौड़ के आधिपत्य की वस्तु एक सफेद थैली में लगभग 03 किलो कपास कीमत लगभग 130/- रुपये को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने के संबंध में धारा 379 भा.द.स. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी देवेन्द्र का खेत ए.बी. रोड़ ठीकरी बासपास पर है जिसमें कपास की फसल बोई है। घटना दिनांक 08.12.2015 को फरियादी चारा काटने एवं मेड़ की सफाई करने गया था तब कपास के खेत में एक व्यक्ति दिखा वह उसके खेत में कपास बिन रहा था। फरियादी उसके पास गया और उक्त व्यक्ति को पकड़ लिय और पूछा कि वह क्या कर रहा है तब उसने बताया कि वह कपास की चोरी करने आया है। फरियादी ने उसका नाम पूछा तो उसने महेश पिता भुरला निवासी- एहमदपुर का होना बताया। फरियादी दिनेश अभियुक्त महेश के पास सफेद थैली में लगभग 03 किलो कपास कीमत लगभग 130/- रुपये तथा अभियुक्त को थाने लेकर आया। पुलिस ने फरियादी दिनेश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 389/2015 अंतर्गत धारा 379 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। साक्षियों एवं फरियादी के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

3. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त की उक्त स्वीकारोक्ति स्वैच्छयापूर्वक होकर उसे दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

4. अभियुक्त के विरुद्ध भादस की धारा 379 का आरोप प्रमाणित हुआ है। अतः सजा के प्रश्न पर अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध केवल 3 किलो कपास कीमत रुपये 130/- की चोरी करने का आरोप है तथा अभियुक्त इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी से लेकर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 28.12.2015 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

5. ऐसी स्थिति में अभियुक्त को ओर अधिक कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त महेश पिता भुरला भीलाला को भादस की धारा 379 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 15 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि उक्त सजा में से समायोजित की जाये। उक्तानुसार धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये। चूँकि अभियुक्त उक्त अवधि के लिए पूर्व में निरोध में रह चुका है। अतः पृथक से सजा वारंट बनाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाये।

6. प्रकरण में जप्तशुदा लगभग 3 किलो कपास अपील अवधि पश्चात् फरियादी दिनेश को दिया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 747/2015 (शासन
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध महेश) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- महेश पिता भुरला, आयु 20 वर्ष
निवासी- एहमदपुर, खैगाव,
थाना मोघर, जिला खण्डवा म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 08.12.2015

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- 28.12.2015

इस प्रकार अभियुक्त ने दिनांक 08.12.2015 से दिनांक
28.12.2015 तक कुल 20 दिवस न्यायिक निरोध में बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,
जिला-बड़वानी, म0प्र0

